## नीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी– 3862/2018/विदिशा/भू.रा.

(291)

क्लार्क ऑफ कोर्ट 25.6.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1– बलवीर सिंह पुत्र महाराज सिंह मैना
निवासी ग्राम वसियाखास, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा (म.प्र.)

2– वीर सिंह पुत्र करन सिंह मैना
निवासी ग्राम वसियाखास, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा (म.प्र.)

————आवेदकगण

बनाम

O.P. Sharma Adv. 25.6.18

1– रमन सिंह पुत्र श्री देवीराम मैना
2– अभिषेक ना. बा. पुत्र रमन सिंह मैना
3– शिवराज सिंह पुत्र बालाराम मैना
4– केश पुत्र गुलाव सिंह मैना
5– भीकम सिंह पुत्र दौलत सिंह मैना
6– छेवीराम पुत्र मूलचन्द मैना
7– अवधनारायण पुत्र हरीसिंह मैना
8– भारत सिंह पुत्र हरीसिंह मैना
सभी निवासीगण ग्राम वसियाखास, तहसील, ग्यारसपुर, जिला विदिशा (म.प्र.)

————अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा–50(1) म.प्र. भू राजस्व संहिता–1959 (नये संशोधन अधिनियम–2011) विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी महोदय ग्यारसपुर जिला विदिशा के प्र0क0 06/अ–74/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 17.5.2018 से परिवेदित होकर।

(3)

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-3862/2018/विदिशा/भू.रा

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 5-12-18 | आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री ओ.पी. शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।<br>**प्रशासकीय सदस्य** | |